



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022-236018  
CG-DL-E-25052022-236018

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/ज्येष्ठ 4, 1944

No. 373]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISHTHA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2022

सा.का.नि. 394(अ).—सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर परपक्षकार प्रीमियम और देयता नियम का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 215(अ), तारीख 17 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 21 मार्च, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया था;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 147 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (परपक्षकार प्रीमियम मूल और देयता) नियम, 2022 है।

(2) यह 01 जून, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल प्रीमियम और देयता - वाहनों के विभिन्न वर्गों के लिए असीमित देयता के लिए परपक्षकार बीमा के लिए मूल प्रीमियम नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्टानुसार किया जाएगा; अर्थात्:-

## सारणी I

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें ( रु. )
(1)	(2)	(3)
	निजी कारें	
	1000 सीसी. से अधिक नहीं	2,094
	1000 सीसी. से अधिक, किंतु 1500 सीसी. से अधिक नहीं	3,416
	1500 सीसी. से अधिक	7,897
	दोपहिया	
	75 सीसी. से अधिक नहीं	538
	75 सीसी. से अधिक, किंतु 150 सीसी. से अधिक नहीं	714
	150 सीसी. से अधिक किंतु 350 सीसी. से अधिक नहीं	1,366
	350 सीसी. से अधिक	2,804
क1	माल वाहक वाणिज्यिक वाहन (3 पहिया वाहनों के अतिरिक्त)	
	जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं	16,049
	7500 किलोग्राम से अधिक, किंतु 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं	27,186
	12000 किलोग्राम से अधिक, किंतु 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं	35,313
	20000 किलोग्राम से अधिक, किंतु 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं	43,950
	40000 किलोग्राम से अधिक	44,242
क2	माल वाहक मोटर चालित तिपहिया और मोटरचालित पेडल साइकिल - सार्वजनिक वाहक	
	ई-कार्ट को छोड़कर	4,492
क3	माल वाहक मोटरचालित तिपहिया और मोटरचालित पेडल साइकिल - निजी वाहक	
	ई-कार्ट को छोड़कर	3,922
ख	ट्रेलरों	
	6 एचपी तक के कृषि ट्रैक्टर	910
	प्रकीर्ण और विशेष प्रकार के वाहन (वर्ग-ग) सहित अन्य वाहन (प्रत्येक ट्रेलर के लिए, अधिक के लिए कृपया ट्रेलरों की संख्या से गुणा करें)	2,485

## सारणी II

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें ( रु .)	
		मूल दर	प्रति अनुज्ञप्तिधारी यात्री
(1)	(2)	(3)	(4)
ग1क	6 यात्रियों से अनधिक वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार पहिया वाहन		
	1000 सीसी. से अधिक नहीं	6,040	1,162
	1000 सीसी से अधिक, किंतु 1500 सीसी. से अधिक नहीं	7,940	978
	1500 सीसी. से अधिक	10,523	1,117
ग1ख	6 यात्रियों से अनधिक वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले तिपहिया वाहन		
	ई-रिक्शा को छोड़कर	2,539	1,214
ग2	6 यात्रियों से अधिक वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार या अधिक पहिया वाहन		
	शैक्षणिक संस्थान बस	12,192	745
	शैक्षणिक संस्थान के अतिरिक्त बस	14,343	877
ग3 क	6 यात्रियों से अधिक, किंतु 17 यात्रियों से अधिक नहीं है, वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन	6,763	1,349
ग3 ख	17 यात्रियों से अधिक वहन, क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन	15,502	948
ग 4	भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित दोपहिया वाहन		
	75 सीसी. से अधिक नहीं	861	580
	75 सीसी. से अधिक, किंतु 150 सीसी. से अधिक नहीं	861	580
	150 सीसी. से अधिक, किंतु 350 सीसी. से अधिक नहीं	861	580
	350 सीसी. से अधिक	2,254	580

## सारणी III

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें ( रु. )
(1)	(2)	(3)
घ	विशेष प्रकार के वाहन	
	हॉर्स पावर रेटिंग 6 एचपी से अनधिक के साथ, पैदलयात्री नियंत्रित कृषि ट्रैक्टर, शव वाहन और प्लेन लोडर	1,645
	अन्य प्रकीर्ण और विशेष प्रकार के वाहन	7,267
ड.	मोटर व्यापार (सड़क पारगमन जोखिम)	
	दूरी 2400 किमी. से अधिक नहीं	1,175
	2400 किमी. से अधिक दूरी	1,412
च क	मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटर चालित दुपहिया वाहनों को छोड़कर) - (नामित चालक या व्यापार प्रमाणपत्र)	
	पहला नामित ड्राइवर या प्रमाणपत्र	1,498
	5 तक अतिरिक्त ड्राइवर/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति ड्राइवर/प्रमाणपत्र)	725
	5 से अधिक, किंतु 10 से अधिक नहीं अतिरिक्त ड्राइवर/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति ड्राइवर/प्रमाण पत्र)	467
	10 से अधिक, किंतु 15 से अधिक नहीं अतिरिक्त ड्राइवर/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति ड्राइवर/प्रमाण पत्र)	404
च ख	मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटर चालित दोपहिया) - (नामित ड्राइवर या व्यापार प्रमाणपत्र)	
	पहला नामित ड्राइवर या प्रमाणपत्र	515
	प्रत्येक अतिरिक्त चालक/प्रमाण पत्र के लिए	257

## सारणी IV

वाहन की श्रेणी	दरें ( रु. )
(1)	(2)
नई निजी कार - तीन वर्ष का एकल प्रीमियम	
1000 सीसी. से अधिक नहीं	6,521
1000 सीसी. से अधिक, किंतु 1500 सीसी. से अधिक नहीं	10,640
1500 सीसी. से अधिक	24,596
नया दोपहिया- पांच वर्ष का एकल प्रीमियम	
75 सीसी. से अधिक नहीं	2,901
75 सीसी. से अधिक, किंतु 150 सीसी. से अधिक नहीं	3,851
150 सीसी. से अधिक, किंतु 350 सीसी. से अधिक नहीं	7,365
350 सीसी. से अधिक	15,117

**सारणी V**  
**इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दरें**

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें ( रु. )
(1)	(2)	(3)
	निजी कारें	
	30 किलोवाट से अधिक नहीं	1,780
	30 किलोवाट से अधिक किंतु 65 किलोवाट से अधिक नहीं	2,904
	65 किलोवाट से अधिक	6,712
	दोपहिया	
	3 किलोवाट से अधिक नहीं	457
	3 किलोवाट से अधिक किंतु 7 किलोवाट से अधिक नहीं	607
	7 किलोवाट से अधिक किंतु 16 किलोवाट से अधिक नहीं	1,161
	16 किलोवाट से अधिक	2,383
क1	माल वाहक वाणिज्यिक वाहन (3 पहिया वाहनों के अतिरिक्त)	
	जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं	13,642
	7500 किलोग्राम से अधिक, किंतु 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं	23,108
	12000 किलोग्राम से अधिक, किंतु 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं	30,016
	20000 किलोग्राम से अधिक, किंतु 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं	37,357
	40000 किलोग्राम से अधिक	37,606
क2	माल वाहक मोटर चालित तिपहिया और मोटर चालित पेडल साइकिल - सार्वजनिक वाहक	
	ई-कार्टर्स	3,139
क3	माल वाहक मोटर चालित तिपहिया और मोटर चालित पेडल साइकिल - निजी वाहक	
	ई-कार्टर्स	3,211

**सारणी VI**

**इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दीर्घकालिक दरें - निजी कार और दोपहिया वाहन:**

वाहन की श्रेणी	दरें ( रु. )
(1)	(2)
नई निजी कार - तीन वर्ष का एकल प्रीमियम	
30 किलोवाट से अधिक नहीं	5,543
30 किलोवाट से अधिक किंतु 65 किलोवाट से अधिक नहीं	9,044
65 किलोवाट से अधिक	20,907

नया दोपहिया- पांच वर्ष का एकल प्रीमियम	
3 किलोवाट से अधिक नहीं	2,466
3 किलोवाट से अधिक किंतु 7 किलोवाट से अधिक नहीं	3,273
7 किलोवाट से अधिक किंतु 16 किलोवाट से अधिक नहीं	6,260
16 किलोवाट से अधिक	12,849

## सारणी VII

## इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दरें - यात्री वाहक

वाहन का प्रकार	किलोवाट सेगमेंट	मूल टीपी प्रीमियम(रु.)	प्रीमियम प्रति अनुज्ञसिधारी यात्री(रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)
ग1क (6 यात्रियों से अनधिक वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार पहिया वाहन)	30 किलोवाट से अधिक नहीं	5,134	988
	30 किलोवाट से अधिक किंतु 65 किलोवाट से अधिक नहीं	6,749	831
	65 किलोवाट से अधिक	8,945	949
ग1ख (6 यात्रियों से अनधिक वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले तिपहिया वाहन)	ई-रिक्शा	1,648	789
ग2 (6 यात्रियों से अधिक वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार या अधिक पहिया वाहन)	शैक्षणिक संस्थान बस	10,363	633
	शैक्षणिक संस्थान के अतिरिक्त बस	12,192	745
ग3 क (6 यात्रियों से अधिक, किंतु 17 यात्रियों से अधिक नहीं है वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन)	-	5,749	1,147
ग3 ख (17 यात्रियों से अधिक वहन क्षमता के साथ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन)	-	13,177	806
ग4 (भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटर चालित दोपहिया वाहन)	3 किलोवाट से अधिक नहीं	732	493
	3 किलोवाट से अधिक किंतु 7 किलोवाट से अधिक नहीं	732	493

	7 किलोवाट से अधिक किंतु 16 किलोवाट से अधिक नहीं	732	493
	16 किलोवाट से अधिक	1916	493

## सारणी VIII – क्वाड्रीसाइकिल

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)	
		मूल दर	प्रति अनुज्ञसिधारी यात्री
(1)	(2)	(3)	(4)
क्वाड्रीसाइकल	निजी कार	2,094	एन/ए
	इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार (30 किलोवाट से अधिक नहीं)	1,780	एन/ए
	वाणिज्यिक वाहन 500 सीसी से अधिक नहीं	2,539	1,214

## दीर्घावधि की दरें - तीन वर्ष का एकल प्रीमियम:

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें ( रु .)
(1)	(2)	(3)
क्वाड्रीसाइकल	नई निजी कार	6,521
	नई इलेक्ट्रिक निजी कार (30 किलोवाट से अधिक नहीं)	5,543

## टिप्पण:

- शैक्षणिक संस्थान बस से एक बस अभिप्रेत है, जो किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में है और पूरी तरह से शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या कर्मचारियों को इसकी किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में परिवहन के प्रयोजन से उपयोग किया जाता है।
- पुरानी कारों के रूप में रजिस्ट्रीकृत उन निजी कारों के लिए पूर्ववर्ती भारतीय मोटर टैरिफ की आधार दर के 50% के रियायती मूल्य को अनुमोदित किया गया है।
- हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर टीपी प्रीमियम दरों पर 7.5% की छूट स्वीकार की जाती है।
- सभी दरों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
- सारणियों के अधीन वाहनों की श्रेणी का अभिप्राय, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अधीन वाहनों की किसी विशेष श्रेणी में निर्दिष्टानुसार होगा।

[फा. सं. आरटी-11036/194/2021-एमवीएल ]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2022

**G.S.R. 394(E).**—Whereas draft rules for Motor Third Party Premium and Liability Rules for the Financial Year 2022-23 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 215 (E), dated the 17th March, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 21st March, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 147 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called as the Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on 1st June, 2022.

2. Base premium and liability. – The base premium for third party insurance for unlimited liability for the various classes of vehicles shall be as specified in the Tables given below; namely:-

**Table I**

<b>Category</b>	<b>Vehicle Type</b>	<b>Rates (Rs)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	<b>Private Cars</b>	
	Not exceeding 1000 cc	2,094
	Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	3,416
	Exceeding 1500 cc	7,897
	<b>Two Wheelers</b>	
	Not exceeding 75 cc	538
	Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	714
	Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	1,366
	Exceeding 350 cc	2,804
A1	<b>Goods Carrying Commercial Vehicles (other than 3 wheelers)</b>	
	GVW not exceeding 7500 kgs.	16,049
	Exceeding 7500 kgs but not exceeding 12000 kgs.	27,186
	Exceeding 12000 kgs but not exceeding 20000 kgs.	35,313
	Exceeding 20000 kgs but not exceeding 40000 kgs.	43,950
	Exceeding 40000 kgs.	44,242
A2	<b>Goods Carrying Motorised Three Wheelers and Motorised Pedal Cycles – Public Carriers</b>	
	except e-carts	4,492



A3	<b>Goods Carrying Motorised Three Wheelers and Motorised Pedal Cycles – Private Carriers</b>	
	except e-carts	3,922
B	<b>Trailers</b>	
	Agricultural Tractors upto 6 HP	910
	Other vehicles including Miscellaneous & Special Type of Vehicles (Class-C),(For each trailer, for more please multiply by no. of trailers)	2,485

Table II

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)	
		Basic Rate	Per Licensed Passenger
(1)	(2)	(3)	(4)
C1a	<b>Four wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers</b>		
	Not exceeding 1000 cc	6,040	1,162
	Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	7,940	978
	Exceeding 1500 cc	10,523	1,117
C1b	<b>Three wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers</b>		
	except e-rickshaw	2,539	1,214
C2	<b>Four or more wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity exceeding 6 passengers for hire or reward</b>		
	Educational institution bus	12,192	745
	Other than educational institution Bus	14,343	877
C3 a	Motorised three wheeled passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 6 passengers but not exceeding 17 passengers	6,763	1,349
C3 b	Motorised three wheeled passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 17 passengers	15,502	948
C4	<b>Motorised Two wheelers used for carrying passengers for hire or reward</b>		
	Not exceeding 75 cc	861	580
	Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	861	580
	Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	861	580
	Exceeding 350 cc	2,254	580

**Table III**

<b>Category</b>	<b>Vehicle Type</b>	<b>Rates (Rs.)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
D	<b>Special Types of Vehicles</b>	
	Pedestrian controlled Agricultural Tractors with Horse Power rating not exceeding 6HP, Hearses and Plane Loaders	1,645
	Other Miscellaneous & Special types of vehicles	7,267
E	<b>Motor Trade (Road Transit Risks)</b>	
	Distance not exceeding 2400 kms.	1,175
	Distance exceeding 2400 kms.	1,412
Fa	<b>Motor Trade (Road Risks) (Excluding Motorised Two Wheelers) – (Named Driver or Trade Certificate)</b>	
	1st named driver or certificate	1,498
	For additional drivers/ certificates up to five (per driver/certificate)	725
	For additional Drivers/ Certificates exceeding five but not exceeding 10 (per driver/ certificate)	467
	For additional Drivers/ Certificates exceeding ten but not exceeding 15 (per driver/ certificate)	404
Fb	<b>Motor Trade (Road Risks) (Motorised Two Wheelers) – (Named Driver or Trade Certificate)</b>	
	1st named driver or certificate	515
	For each additional Driver/ Certificate	257

**Table IV**

<b>Category of Vehicle</b>	<b>Rates (Rs.)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>New Private Car – Three year single premium</b>	
Not exceeding 1000 cc	6,521
Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	10,640
Exceeding 1500 cc	24,596
<b>New Two Wheeler – Five year single premium</b>	
Not exceeding 75 cc	2,901
Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	3,851
Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	7,365
Exceeding 350 cc	15,117

**Table V****Rates for Electric vehicles**

<b>Category</b>	<b>Vehicle Type</b>	<b>Rates (Rs)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
	<b>Private Cars</b>	
	Not exceeding 30 KW	1,780
	Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	2,904

	Exceeding 65 KW	6,712
	<b>Two Wheelers</b>	
	Not exceeding 3 KW	457
	Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	607
	Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	1,161
	Exceeding 16 KW	2,383
A1	<b>Goods Carrying Commercial Vehicles (other than 3 wheelers)</b>	
	GVW not exceeding 7500 kgs.	13,642
	Exceeding 7500 kgs but not exceeding 12000 kgs.	23,108
	Exceeding 12000 kgs but not exceeding 20000 kgs.	30,016
	Exceeding 20000 kgs but not exceeding 40000 kgs.	37,357
	Exceeding 40000 kgs.	37,606
A2	<b>Goods Carrying Motorised Three Wheelers and Motorised Pedal Cycles – Public Carriers</b>	
	e-carts	3,139
A3	<b>Goods Carrying Motorised Three Wheelers and Motorised Pedal Cycles – Private Carriers</b>	
	e-carts	3,211

Table VI

## Long term rates for electric vehicles – Private Cars and Two wheelers

Category of Vehicle	Rates (Rs.)
(1)	(2)
<b>New Private Car – Three year single premium</b>	
Not exceeding 30 KW	5,543
Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	9,044
Exceeding 65 KW	20,907
<b>New Two Wheeler – Five year single premium</b>	
Not exceeding 3 KW	2,466
Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	3,273
Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	6,260
Exceeding 16 KW	12,849

Table VII

## Rates for Electric vehicles – Passenger carrying

Vehicle type	KW Segments	Basic TP premium (Rs.)	Premium per licensed passenger (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
C1a (Four wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers)	Not exceeding 30 KW	5,134	988
	Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	6,749	831
	Exceeding 65 KW	8,945	949

C1b (Three wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity not exceeding 6 passengers)	e-rickshaw	1,648	789
C2 (Four or more wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity exceeding 6 passengers for hire and reward)	Educational institution bus	10,363	633
	Other than educational institution bus	12,192	745
C3a (Motorised three wheeled passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 6 passengers but not exceeding 17 passengers)	-	5,749	1,147
C3b (Three wheeled vehicles used for carrying passengers for hire and reward with carrying capacity exceeding 17 passengers)	-	13,177	806
C4 (Motorised Two Wheelers used for carrying passengers for hire or reward)	Not exceeding 3 KW	732	493
	Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	732	493
	Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	732	493
	Exceeding 16 KW	1916	493

**Table VIII - Quadricycle**

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)	
		Basic Rate	Per Licensed Passenger
(1)	(2)	(3)	(4)
Quadricycle	Private Car	2,094	N/A
	Electric private Car (Not exceeding 30 KW)	1,780	N/A
	Commercial Vehicles not exceeding 500 CC	2,539	1,214

**Long term rates – Three years single premium:**

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)
(1)	(2)	(3)
Quadricycle	New Private Car	6,521
	New Electric private Car (Not exceeding 30 KW)	5,543

**Note.-**

- I. Educational institution bus means an omnibus, which is owned by a college, school or other educational institution and used solely for the purpose of transporting students or staff of the educational institution in connection with any of its activities.
- II. A discounted price of 50% of the premium based on the Indian Motor Tariff shall be allowed to a private car registered as Vintage Car.
- III. A discount of 7.5% on the premium shall be allowed for Hybrid Electric Vehicle.
- IV. All rates of premium shall be rounded off to the nearest rupee.
- V. The category of vehicles under the Tables shall have the meaning assigned to a particular category of vehicles under Central Motor Vehicle Rules, 1989.

[F. No. RT-11036/194/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.